


राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/बी-202/2019/ दिनांक-

-आदेश-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाये (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा-2016 के परिणाम के आधार राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम-34 में श्री बाबूलाल, नर्स द्वितीय, राजकीय चिकित्सालय, लाडनूँ (नागौर) को निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक राम/प-2(13) रातस/बैच-29/2019/6121 दिनांक 01.07.2019 के द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति प्रदान कर इन्हें एपीआरटीएस टॉक में दिनांक 03.07.2019 को उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया है, को कार्यमुक्त कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि ये निर्धारित तिथि तक को अपनी उपस्थिति प्रधानाचार्य एपीआरटीएस, टॉक को देवे ।

श्री बाबूलाल, के लियन के सबंध में राजस्थान सेवा नियम-1951 का नियम 15 प्रभावी रहेगा।




(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- ई-11/नर्स-2/बी-202/2019/ 605

दिनांक- 02/07/19

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर को उनके आदेश क्रमांक 6121 दिनांक 01.07.2019 के क्रम में
2. प्रधानाचार्य, एपीआरटीएस टॉक।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, लाडनूँ (नागौर) को उनके पत्रांक 650-52 दिनांक 01.07.2019 के क्रम में भेजकर लेख है कि कार्मिक को निर्धारित तिथि से पूर्व कार्यमुक्त करावें।
6. डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
7. श्री बाबूलाल, नर्स द्वितीय द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
9. आदेश/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।